GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate Elementary Education
मौलिक शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
EDUCATION DEPARTMENT
शिक्षा विभाग, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
From Darkness lead me to Light

www.schooleducationharyana.gov.in / e-mail: edusecondary@hry.nic.in

कार्यालय महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।

ज्ञापन

आदेश क्रमांक 14/10-2020 HRM-II (5) **दिनांक पंचकूला :** 15-6-2021

1 श्री महेन्द्र सिंह (088887), एस0एस0 अध्यापक, रा0मा0वि0 कुन्जिया (5889) जिला झज्जर को सूचित किया जाता है कि संलग्न विवरण में दिये गये आधारों पर हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016, के नियम–7 के अन्तर्गत उनके विरूद्व कार्यवाही करना प्रस्तावित किया गया है। ये आरोप उससे अनुबद्ध अभिकथनों के विवरण पर आधारित है।

2 आप द्वारा इस ज्ञापन की प्राप्ति की तिथि से **45 दिन** की अवधि के अन्दर लिखित रूप में बताने की अपेक्षा की जाती है कि वे सभी आरोपो को या उनमें से किसी को स्वीकार करते है। आपका स्पष्टीकरण या प्रतिवेदन, यदि कोई हो, प्रस्तुत करना हैं और क्या आप व्यक्तिगत रूप में अपनी सुनवाई चाहते है।

3 आपको आगे सूचित किया जाता हैं कि वे अपने लिखित कथन को तैयार करने के प्रयोजन के लिये सुसंगत सरकारी अभिलेखों को देखना चाहते है तो उन्हे निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा पंचकूला के कार्यालय में पहले समय नियत करने के बाद, किसी कार्य दिवस को, उनका निरीक्षण करना चाहिए। फिर भी यह बताया जाता है कि उन्हे केवल ऐसे ही दस्तावेज दिखाये जायेंगे, जोकि निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा पंचकूला के पास है और जो मामलें के साथ पूरी तरह से सुसंगत है। यदि सरकार की राय में उन्हें किन्ही दस्तावेजों को दिखाने की अनुमति देना लोकहित में वांछनीय नहीं है, तो उन्हे वह दस्तावेज दिखाने के लिए इन्कार कर दिया जायेगा। यदि आप ऐसे किसी अन्य सुसंगत अभिलेख को देखना चाहते है जो निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा पंचकूला की अभिरक्षा में नही है तो उनका निरीक्षण करने की जिम्मेदारी उनकी अपनी है, फिर भी आपको यह बात स्पष्ट की जाती है कि उनके द्वारा उक्त दस्तावेज का निरीक्षण न किया जा सकना उनके लिखित कथन को भेजने में देरी के लिए वैध आधार नही माना जायेगा और यदि लिखित कथन निम्नहस्ताक्षरकर्ता को निर्दिष्ट अवधि के अन्दर प्राप्त नहीं होता तो यह समझा जायेगा कि उन्हे कुछ भी प्रस्तुत नहीं करना है।

4 लिखित कथन सीधे निम्नहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करने चाहिऐं।

5 संलग्न पत्रों सहित इस ज्ञापन की पावती भेजें।

(मुकेश कुमार)
अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
कृतेः महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

रजिस्टर्ड
सेवा में

श्री महेन्द्र सिंह (088887), एस0एस0 अध्यापक,
रा0मा0वि0 कुन्जिया (5889) जिला झज्जर

पृष्ठांकन क्रमांक : सम दिनांक पंचकूला : 16-6-2021

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :–

1 जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, **झज्जर।**

2 प्रधनाचार्य / मुख्याध्यापक, रा0मा0वि0 कुन्जिया (5889) जिला झज्जर।

3 टी0ओ0 / आई0टी0सैल।

अधीक्षक एच0आर0एम0–II
कृते0 महानिदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा,
पंचकूला।

D:\HRM-II\Chargesheet\Chargesheet 2017\Chargesheet 7.1.Docx

Off.: Shiksha Sadan, Sector-5, Panchkula (Haryana) Tel: 91(0172)-2560246 Fax:)- 91(0172)2560253
कार्यालयः शिक्षा सदन, सैक्टर–5 पंचकूला (हरियाणा) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्सः 91 (0172) 2560253

अभियोग सूचि विरूद्ध– श्री महेन्द्र सिंह (088887), एस0एस0 अध्यापक, रा0मा0वि0 कुन्जिया (5889) जिला झज्जर।

यह कि श्री महेन्द्र सिंह (088887), एस0एस0 अध्यापक, रा0मा0वि0 कुन्जिया (5889) जिला झज्जर ने अपने सेवा काल के दौरान जो अनियमितताएं की है उनके आधार पर उसे निम्न प्रकार से आरोपित किया जाता है।

1. यह कि आपके विरूद्ध पुलिस स्टेशन झज्जर मे दिनांक 30.09.2019 को FIR संख्या 303 under sections 148, 149, 323 and 506 of IPC Act, 1860 के तहत दर्ज हुई थी तथा आप दिनांक 12.10.2019 से दिनांक 14.10.2019 तक न्यायिक हिरासत मे रहे है।
2. यह कि आपके विरूद्ध श्री विजेन्द्र पुत्र राम सिंह निवासी सुलेहरी तह0 झज्जर द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया गया कि जमीन पर नाजायज कब्जा छुडवाने के लिए विरेन्द्र पुत्र राम सिंह व मनोज पुत्र दयान्द अपने खेत मे जाने के लिए फिरनी का लेवल करने लगे। उसी दौरान सुशीला पत्नी महेन्द्र, हितेश पुत्र अनूप, अनूप पुत्र लालचन्द तथा जोनी भांजा मौके पर आये और झगडा करने लगे और धमकी करने लगे कि तुम पर SC/ST Act के तहत झूठा मुकदमा करके फसवा देगें। जब इसका विरोध किया तो विरेन्द्र को लाठी व डडों से पीटना शुरू कर दिया। जोनी भांजा उसका चाकू से वार कर रहा था तभी महेन्द्र आ गया। उनके हाथ मे लाठी थी। महेन्द्र सरकारी स्कूल मे मास्टर कार्यरत है। शोर सुनकर गाव वाले इक्टठे हो गए और महेन्द्र का भाई राजबीर पुत्र राम सिंह, विजयपाल पुत्र रामकुमार, रामकेश निवासी कासनी व विक्रात पुत्र जगमिन्द्र व सरपंच मौके पर आ गये। उन्होने बडी मुश्किल से छुडवाया। महेन्द्र मास्टर ने कहा इन्हे जान से मरवा दो और हरी जन एक्ट लगवा दो व गांव के मौजूद आदमियो ने दोनो पक्षो का समझौता करवा दिया। इसके उपरान्त सुशीला, अनूप, लालचन्द व मनोज तीनो ने अपने ईलाज के लिए सिविल हस्पताल मे दाखिल हो गये। जिसमे डाक्टरो द्वारा MLR No. SR/975/JJR/2019 दिनांक 29.09.2019 व MLR No. ASR/976/JJR/2019 दिनांक 29.09.2019 के तहत पाया गया कि सुशीला, अनूप, लालचन्द व मनोज तीनो को चोटे आई है जिसके तहत आपके विरूद्ध IPC Act, 1860 (under sections 148, 149, 323 and 506) के तहत दर्ज हुई।

इस प्रकार उसने हरियाणा कर्मचारी आचरण नियमावली–2016 के नियम– 4(1)(i)(ii)(iii)&(iv) की अवहेलना की है तथा स्वयंम को सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही का पात्र बनाया है तथा आपके विरूद्ध हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड एंव अपील) नियमावली 2016 के नियम 4(b) तहत अभियोग चलाया जाना पाया गया है।

(मुकेश कुमार)
अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
कृतेः महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

D:\HRM-II\Chargesheet\Chargesheet 2017\Arop Suchi 2019.Docx

आरोप सूचि विरूद्व– श्री महेन्द्र सिंह (088887), एस0एस0 अध्यापक, रा0मा0वि0 कुन्जिया (5889) जिला झज्जर।

यह कि श्री महेन्द्र सिंह (088887), एस0एस0 अध्यापक, रा0मा0वि0 कुन्जिया (5889) जिला झज्जर ने अपने सेवा काल के दौरान जो अनियमितताएं की है उनके आधार पर उसे निम्न प्रकार से आरोपित किया जाता है।

1. यह कि आपके विरूद्ध पुलिस स्टेशन झज्जर मे दिनांक 30.09.2019 को FIR संख्या 303 under sections 148, 149, 323 and 506 of IPC Act, 1860 के तहत दर्ज हुई थी तथा आप दिनांक 12.10.2019 से दिनांक 14.10.2019 तक न्यायिक हिरासत मे रहे है।
2. यह कि आपके विरूद्ध श्री विजेन्द्र पुत्र राम सिंह निवासी सुलेहरी तह0 झज्जर द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया गया कि जमीन पर नाजायज कब्जा छुडवाने के लिए विरेन्द्र पुत्र राम सिंह व मनोज पुत्र दयान्द अपने खेत मे जाने के लिए फिरनी का लेवल करने लगे। उसी दौरान सुशीला पत्नी महेन्द्र, हितेश पुत्र अनूप, अनूप पुत्र लालचन्द तथा जोनी भांजा मौके पर आये और झगडा करने लगे और धमकी करने लगे कि तुम पर SC/ST Act के तहत झूठा मुकदमा करके फसवा देगें। जब इसका विरोध किया तो विरेन्द्र को लाठी व डडों से पीटना शुरू कर दिया। जोनी भांजा उसका चाकू से वार कर रहा था तभी महेन्द्र आ गया। उनके हाथ मे लाठी थी। महेन्द्र सरकारी स्कूल मे मास्टर कार्यरत है। शोर सुनकर गाव वाले इक्टठे हो गए और महेन्द्र का भाई राजबीर पुत्र राम सिंह, विजयपाल पुत्र रामकुमार, रामकेश निवासी कासनी व विक्रात पुत्र जगमिन्द्र व सरपंच मौके पर आ गये। उन्होने बडी मुश्किल से छुडवाया। महेन्द्र मास्टर ने कहा इन्हे जान से मरवा दो और हरी जन एक्ट लगवा दो व गांव के मौजूद आदमियो ने दोनो पक्षो का समझौता करवा दिया। इसके उपरान्त सुशीला, अनूप, लालचन्द व मनोज तीनो ने अपने ईलाज के लिए सिविल हस्पताल मे दाखिल हो गये। जिसमे डाक्टरो द्वारा MLR No. SR/975/JJR/2019 दिनांक 29.09.2019 व MLR No. ASR/976/JJR/2019 दिनांक 29.09.2019 के तहत पाया गया कि सुशीला, अनूप, लालचन्द व मनोज तीनो को चोटे आई है जिसके तहत आपके विरूद्ध IPC Act, 1860 (under sections 148, 149, 323 and 506) के तहत दर्ज हुई।

इस प्रकार उसने हरियाणा कर्मचारी आचरण नियमावली–2016 के नियम– 4(1)(i)(ii)(iii)&(iv) की अवहेलना की है तथा स्वयंम को सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही का पात्र बनाया है तथा आपके विरूद्ध हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड एंव अपील) नियमावली 2016 के नियम 4(b) तहत अभियोग चलाया जाना पाया गया है।

(मुकेश कुमार)
अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
कृतेः महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

D:\HRM-II\Chargesheet\Chargesheet 2017\Arop Suchi 2019.Docx

रिकार्ड सूची विरूद्ध – श्री महेन्द्र सिंह (088887), एस0एस0 अध्यापक, रा0मा0वि0 कुन्जिया (5889) जिला झज्जर।

....

1. जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी झज्जर के पत्र क्रमांक ई–1–19/4627 दिनांक 18.11.2019 से प्राप्त दस्तोवजो की प्रति।

गवाहों की सूचीः–

1. सम्बन्धित सहायक, महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।

(मुकेश कुमार)
अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
कृतेः महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

D:\HRM-II\Chargesheet\Chargesheet 2017\Arop Suchi 2019.Docx